महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–905 / सत्तर–2–2019–16(11) / 2017

प्रेषक,

आर० रमेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2019

विषयः– समस्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा एन०ओ०सी० की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑनलाइन एन०ओ०सी० का सॉफ्टवेयर एन०आई०सी० द्वारा विकसित कर दिया गया है, जिसका **URL-https://henoc.upsdc.gov.in** है। सभी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को उनके संबंधित विश्वविद्यालय की लॉगिन आई–डी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है।

2– वर्तमान में शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(66) / 2002, दिनांक 27–09–2002 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 02 चक्रों में नये महाविद्यालयों / संस्थानों को खोलने / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों को नये विषयों हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा एन०ओ०सी० दी जाती है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा एन०ओ०सी० का आवदेन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10–01–2020 है।

3– दिनांक 01–12–2019 से उत्तर प्रदेश राज्य विंश्वविद्यालयों द्वारा एन०ओ०सी० का आवेदन ऑफलाइन नही लिया जायेगा, एन०ओ०सी० के सभी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेगें। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01–12–2019 से पूर्व एन०ओ०सी० का आवेदन ऑफलाइन कर लिया गया है, तो वह संबंधित विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर एन०ओ०सी० का आवेदन ऑनलाइन करेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(आर० रमेश कुमार)
सचिव।

पत्रांकः रु.वि. / सम्ब० / 2019 / 12786 दिनांकः 07.12.2019

सूचना

विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले जनपद के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय खोलने तथा पूर्व संचालित महाविद्यालय में नये पाठ्यक्रम खोलने हेतु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में अनापत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त अनापत्ति प्रस्ताव का प्रिन्टआउट के साथ रू०500 / – का डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी महात्मा ज्योतिबा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के पक्ष में सलंग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

कुलसचिव